

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तोदय संबल पखवाडा कैम्प 2025  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठारीन अधिकारी:- कल्पित शिवरान आर.ए.एस

क्रमांक :- दुरुरती / 2025 / 840


आदेश

दिनांक :- 4/7/25

प्रार्थी के खाता दुरुरती प्रार्थना पत्र में गुताविक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी गोपालसिंह पुत्र मालाराम जाति रेगर निवासी भरवाना ने अपने पिता मालाराम पुत्र रुघाराम के नाम दर्ज भूमि में जाति हरिजन व मेघवाल गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को उपयोग उपभोग में कठिनाईयों का सामना करना पडता है चूंकि प्रार्थी के पिता मालाराम की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी व शपथ पत्र व ग्राम पंचायत रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही चक 3 एमएसआर, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि मालाराम पुत्र रुघाराम जाति मेघवाल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम मालाराम पुत्र रुघाराम जाति मेघवाल ही लागू होगा।


क्र.स.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	3 एमएसआर	129/119	मालाराम पुत्र रुघाराम जाति मेघवाल	मालाराम पुत्र रुघाराम जाति रेगर

  
पीठारीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ  
दिनांक :- 4/7/25

क्रमांक:- सम/2025/ 841-842

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार ( राजस्व ) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ,विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. मृतक मालाराम के पुत्र गोपालसिंह पुत्र मालाराम जाति रेगर को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ

